



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2025-26/171

केका.डीपीएसएस.ओडीडी.सं.एस1073/06-08-024/2025-2026

1 जनवरी 2026

सभी व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक

महोदया/प्रिय महोदय,

विवरणियाँ – भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग – सीआईएमएस में प्रस्तुति

भारतीय रिज़र्व बैंक के अगली पीढ़ी के डेटावेयरहाउस, अर्थात् केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) के लॉन्च के बाद, अब निम्नलिखित रिपोर्टों की सीआईएमएस में रिपोर्टिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है:

क्रम सं.	विवरणी का नाम	विवरणी कोड	आवृत्ति
1	इब्ल्यूएलए सांख्यिकी	आर 330	मासिक

2. अतः आपसे अनुरोध है कि ऊपर उल्लिखित रिपोर्टों को सीआईएमएस पोर्टल (<https://cims.rbi.org.in/#/login>) पर दिसंबर 2025 से अगले रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करें।

3. प्रत्येक रिपोर्टिंग संस्था के लिए सीआईएमएस में प्रशासक उपयोगकर्ताओं को बनाया गया है। इस विवरणी को प्रस्तुत करने वाले उपयोगकर्ताओं के लॉगिन प्रमाणपत्रों को संबंधित संस्था प्रशासक उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाया जाना चाहिए।

4. वर्तमान अभ्यास के अनुसार, प्रत्येक महीने की रिपोर्ट अगले महीने की 7 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए (अर्थात् दिसंबर 2025 के लिए रिटर्न 07 जनवरी, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए)। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 12 के साथ धारा 19 के तहत जारी किया गया है। निर्देशों के गैर-अनुपालन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

भवदीय,

(सौरभ नाथ)

मुख्य महाप्रबंधक

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई - 400 001
फोन: (91-22) 2264 4995, फैक्स: (91-22) 2265 9566, 2269 1557, ई-मेल: cgmfpssco@rbi.org.in

Department of Payment and settlement Systems, Central Office, 14th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai – 400 001.

Phone: (91-22) 2264 4995, Fax: (91-22) 2265 9566, 2269 1557, Email: cgmfpssco@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए